रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक

सीमान जी ग्राम मिठड़िया के ख.नं.96 में चनेश ओड़ा पुत्र अर्जुनदेव ओड़ा जाति ओड़ा सा० नारायण विहार नई दिल्ली 110028 खातेदार, दर्ज हैसियत है। जमाबंदी संवत 2066-69 में खाते का नाम चनेश ओड़ा पुत्र अर्जुनदेव ओड़ा दर्ज हैसियत था नई जमाबंदी संवत (2070-73) में चनेश ओड़ा की जगह चनेश ओड़ा दर्ज कर दिया गया। अतः सीमान जी वर्तमान में चनेश ओड़ा पुत्र अर्जुनदेव के स्थान पर चनेश ओड़ा पुत्र अर्जुनदेव की खाते में जमीन अंकित है। उक्त खाते में कोई इन्द्राज नहीं है। रिपोर्ट सादर पेश है।

27/09/2025

बलविन्द्र
पटवारी पं नं अलखपुर
तह लूनकरनसर

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

मूल दि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी को वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पेश है

क्रमांक 1774
04/10/2025

421
27/10/25

27.09.25
उप-तहसीलदार
महाजन

आदेश

[illegible] फाइनल जांच के आधार पर उप तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार जांच के आधार पर विवरण लिखकर ग्राम मिठड़िया के खसरा नं.96 में चनेश पुत्र अर्जुनदेव ओड़ा दर्ज है जबकि सही नाम चनेश ओड़ा है जिसे दुरुस्त किया जावे। फरवरी [illegible] की रिपोर्ट के आधार पर नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। उप तहसीलदार की आख्या भी है अतः दस्तावेज लिखापढ़ी उप तहसीलदार महाजन ग्राम मिठड़िया की फरवरी के खसरा नं.96 में जमीन का नाम चनेश ओड़ा पुत्र अर्जुनदेव के स्थान पर चनेश ओड़ा पुत्र अर्जुनदेव ओड़ा दुरुस्ती के आदेश जारी किये जाते हैं। उप तहसीलदार महाजन तहसील [illegible] जमीन का [illegible] करे। जमीन का निर्णय के अनुसार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Davanand Ruyal
Date: 2025.11.03 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर